

न्यायालय कलक्टर, एवं जिला मजिस्ट्रेट चित्तौड़गढ़ (राज.)
पीठसीन अधिकारी तारा चन्द मीणा, आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या 55/2021 (रे.वि.)
पंजीयन दिनांक 02.03.2021
G.C.M.S. NO. :-2021/83

आन्ध्रा बैंक अब यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया चित्तौड़गढ़ शाखा 3-4, महाराणा प्रताप सेतू
मार्ग गणगौर गार्डन के पास, चित्तौड़गढ़ राजस्थान जरिये प्राधिकृत अधिकारी

-प्रार्थी

बनाम

- 1-मैसर्स अजय फूड प्रोडक्ट्स भोई खेड़ा, सामुदायिक भवन के पास, कच्ची बस्ती,
चित्तौड़गढ़ राजस्थान
- 2-श्रीमति केसर देवी पत्नि श्री हीरालाल सालवी निवासी भोई खेड़ा, सामुदायिक भवन
के पास, कच्ची बस्ती, चित्तौड़गढ़ राजस्थान
- 3-श्री हीरालाल सालवी पुत्र श्री नन्द राम सालवी मकान नं. 22, भोई खेड़ा, कच्ची
बस्ती, चित्तौड़गढ़ राजस्थान

-अप्रार्थीगण

प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण, पुनर्गठन ओर
प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002



उपस्थिति : 1- श्री राजेन्द्र सिंह चुण्डावत, अधिवक्ता प्रार्थी

आदेश

दिनांक 10.08.2021

प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण, पुनर्गठन ओर
प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत अप्रार्थीगण के विरुद्ध प्रस्तुत किया।
प्रार्थना-पत्र के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है प्रार्थी बैंक द्वारा अप्रार्थीगण को कुल राशि
रुपये 14,00,000/- रु. की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गयी है। ऋण राशि के
पुनर्भुगतान हेतु अप्रार्थीगण द्वारा अपनी निम्न सम्पत्ति को प्रार्थी बैंक के पक्ष में रहन
कर दिया। अप्रार्थीगण द्वारा नियमित रूप से प्रार्थी बैंक को ऋण का भुगतान करने में
असफल रहने पर प्रार्थी द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 13 (2) के अन्तर्गत नोटिस
जारी किये गये, किन्तु अप्रार्थीगण द्वारा बकाया राशि जमा नहीं कराये जाने से यह
आवेदन प्रस्तुत किया गया।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को रजिस्टर्ड ए. डी. के माध्यम से
तथा तामीलन तहसीलदार, चित्तौड़गढ़ के मार्फत् सूचना पत्र भिजवाने पर विपक्षीगण के
सूचना पत्र अदम तामील प्राप्त होने पर अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा, प्रार्थी बैंक द्वारा
विपक्षीगण को धारा 13 (2) के तहत जारी नोटिस की तामील समाचार पत्र में प्रकाशन
के माध्यम से कराई जाने का निवेदन करने पर प्रकरण में अधिवक्ता प्रार्थी की बहस
सुनी गई।

2 2
कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट

बैंक के अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थी बैंक एक निगमित निकाय है, जो अपनी शाखाओं के माध्यम से बैंकिंग व्यवसाय करती है। प्रार्थी बैंक ने इस शाखा से अप्रार्थीगण को उक्त ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गयी जिसके तहत रहन की गई जायदाद का विवरण निम्न है:-

➤ प्लॉट और मशीनरी सहित दृष्टिबंधक स्टॉक और अवल संपत्तियां अजय फुड प्रोडक्ट्स से संबंधित जो ब्लू स्टार मेक प्री फेब्रिकेटेड इन्सुलेटेड पीयूएफ पैनल्स फॉर वॉल एण्ड शिलिंग एण्ड रेफिजरेशन यूनिट में स्थित है, एवं निम्न संपत्तियों के विरुद्ध बंधक है।

➤ श्री हीरालाल सालवी पुत्र श्री नन्द राम सालवी एवं श्रीमति केसर देवी पत्नि श्री हीरालाल सालवी से संबंधित शहरी भूमि जो प्लॉट नं. 22, वार्ड नं. 36, हडमाला, भोई खेड़ा (कच्ची बस्ती) चित्तौड़गढ़, राजस्थान पर स्थित है। सीमाएँ :-

पूर्व :- सुखदेव पुत्र राम लाल सुवाल पश्चिम :- बालू पुत्र मांगी लाल
उत्तर :- खेली पत्नि चम्पा लाल भील दक्षिण :- आम रास्ता

उक्त सम्पत्ति प्रार्थी बैंक के पक्ष में रहन रख कर ऋण स्वीकृत किया गया था। अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी बैंक को ऋण व ब्याज की राशि नियमित भुगतान नहीं करने पर, प्रार्थी बैंक द्वारा अप्रार्थीगण को नोटिस दिये जाने के उपरान्त भी राशि का भुगतान नहीं किया गया है। जिससे अप्रार्थीगण के जिम्मे दिनांक 11.02.2020 तक कुल राशि रुपये 13,11,929.35/- रुपये तथा ब्याज व अन्य चार्जेज देय निकलते हैं। उक्त राशि का भुगतान नहीं करने से अप्रार्थीगण स्वयं जिम्मेदार है। अतः अप्रार्थीगण द्वारा बतौर जमानत प्रार्थी बैंक के पक्ष में रहन रखी गयी सम्पत्ति का कब्जा जरिए पुलिस इमदाद प्रार्थी बैंक को दिलाया जावे।

हमने पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया। अधिवक्ता प्रार्थी की बहस पर मनन किया। प्रार्थी बैंक द्वारा अप्रार्थीगण को ऋण उपलब्ध कराये जाने से इस राशि के पुनर्भरण हेतु बतौर प्रतिभूति उक्त जायदाद अप्रार्थीगण ने बैंक के पक्ष में रहन रखी है। बैंक द्वारा अप्रार्थीगण को नोटिस दिये जाने के उपरान्त भी उपरोक्त बकाया राशि जमा नहीं कराई गयी है। द सिक्वोरिटॉरिईजेशन एण्ड रिकवर्सट्रक्शन ऑफ फाईनेन्शियल एसेट्स एण्ड एनफोर्समेन्ट ऑफ सिक्वोरिटरी इन्टरेस्ट (सेकण्ड) एक्ट, 2002 की धारा 14 में सर्व प्रथम उक्त रहन रखी गई सम्पत्ति को प्रार्थी बैंक के कब्जे में दिलाये जाने का स्पष्ट प्रावधान है। अतः ऋणी द्वारा बैंक में रखी गयी सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी बैंक को दिलाया जाना उचित है।

अतः प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण द्वारा बैंक के पक्ष में रखी गयी पैरा संख्या 3 में वर्णित सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी बैंक प्रतिनिधि को जरिये पुलिस संभलाये जाने के आदेश दिये जाते हैं।

‘निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।’



(तारा चन्द मीणा)

कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
चित्तौड़गढ़